



डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ  
सेक्टर-11 जानकी पुरम् विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0 / कुस0का0 / रैगिंग / 2018 / 11581

दिनांक: 13/8/18

सेवा में

1	प्रो० वन्दना सहगल फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	अध्याक्ष
2	निदेशक, आई0ई0टी0, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक, बी0आई0ई0टी0, डॉसी	सदस्य
4	निदेशक, के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर	सदस्य
5	निदेशक, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर	सदस्य
6	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, कन्नौज	सदस्य
7	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, मैनपुरी	सदस्य
8	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, बॉदा	सदस्य
9	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, अम्बेदकरनगर	सदस्य
10	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, बिजनौर	सदस्य
11	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, आजमगढ़	सदस्य
12	निदेशक, राजकीय इंजी० कालेज, सोनभद्र	सदस्य
13	निदेशक, उ० प्र० डिजाइन इंस्टीट्यूट, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, नोयडा	सदस्य
14	निदेशक, श्रीराममूर्ति कालेज ऑफ इंजी० एवं टेक्नोलाजी, बरेली	सदस्य
15	अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	सदस्य
16	उप कुलसचिव, डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ	सदस्य सचिव

विषय: रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बंध में अवगत कराना है कि डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने संबंधी मा० उच्च न्यायालय के आदेश सं० 370/40/XI A दिनांक 12.06.2009 के क्रम में शासन के पत्र सं० 1835-सोलह-1-250/96 दिनांक 03.09.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नहीं है, के लिये अनुश्रवण किया जायेगा। रैगिंग नियंत्रण समिति भी इस सम्बंध में कारगर कदम उठाये और कहीं भी कोई रैगिंग की कोई शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहाँ जा कर निरीक्षण किया जाय ताकि रैगिंग की घटनायें बिलकुल न हों। निरीक्षण हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

उक्त की सूचना के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जाय-

1. संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों जिसमें 05 छात्राये सम्मिलित हो, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनाई गई सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाय।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीड बैक को गोपनीय रखा जाय तथा उसे ध्यान में रखते हुये संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाय।
3. सभी नये छात्रों को एस.एम.एस. की सुविधा प्रदान की जाय तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्था स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाय।

4. संस्था के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डन की अध्यक्षता में रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाय इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
5. जिला स्तर पर गठित ऐण्टी रैगिंग अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुये जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराये जाय। यदि किसी भी संस्था में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके सम्बंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाय।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नन्द लाल सिंह)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक—उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- ✓ 2. प्राचार्य/निदेशक, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।
3. वित्त अधिकारी, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. उप कुलसचिव, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. सहायक कुलसचिव, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. स्टाफ अफिसर, मा० कुलपति महोदय, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(नन्द लाल सिंह)  
कुलसचिव



पत्रांक डा०ए०पी०जे०अ०क०प्रा०वि० / कुस०का० / रैगिंग / 2016 / 8392-96

दिनांक: 03/10/16

सेवा में

1. प्रो. जगवीर सिंह  
फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर,  
डा०अ०क०प्रा०वि०, लखनऊ  
अध्यक्ष
2. प्रो० नीलम श्रीवास्तव  
आई०ई०टी० लखनऊ  
सदस्य
3. प्रो० ए०के० सोलंकी  
बी०आई०ई०टी० झाँसी  
सदस्य
4. प्रो० ए०के० सक्सेना  
के०एन०आई०टी०, सुल्तानपुर  
सदस्य
5. डा० एस०एस०सोम  
उप परीक्षा नियंत्रक,  
डा०अ०क०प्रा०वि०, लखनऊ  
सदस्य सचिव

विषय: रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि डा०अ०क०प्रा०वि०, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति द्वारा प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने संबंधी मा० उच्च न्यायालय के आदेश सं० 370/40/XI A दिनांक 12.6.2009 के क्रम में शासन के पत्र सं० 1835-सोलह-1-250/96 दिनांक 3.09.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति संस्थाओं का आकरिमक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें संस्थाओं के स्तर पर निदेशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ साथ रैगिंग की कोई

घटना घटित तो नहीं है, के लिये अनुश्रवण किया जायेगा। रैगिंग नियंत्रण समिति भी इस संबंध में कारगर कदम उठाये और कहीं भी कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहाँ जाकर निरीक्षण किया जाये ताकि रैगिंग की घटनायें बिलकुल न हों।

उक्त की सूचना के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाय।

1. शैक्षिक सत्र 16-17 में संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों जिसमें 5 छात्राएँ सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाय।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीड बैक को गोपनीय रखा जाये तथा उसे ध्यान में रखते हुये संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाये।
3. सभी नये छात्रों को एस0एम0एस0 की सुविधा प्रदान की जाय तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्था स्तर पर त्वरित कार्यवाही की जाये।
4. संस्था के प्रत्येक हास्टल में हास्टल बार्डन की अध्यक्षता में रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाये तथा इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
5. जिला स्तर पर गठित ऐण्टी रैगिंग अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुये जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराये जाये। यदि किसी भी संस्था में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाय।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय  
↑  
(पी0के0 गंगवार)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक--उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्राचार्य/निदेशक डा0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ से संबद्ध समस्त संस्थान।
3. वित्त अधिकारी, डा0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय डा0अ0क0प्रा0वि0, लखनऊ।

8  
(पी0के0 गंगवार)  
कुलसचिव



# उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्र सं०: उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./2015/111-120

दिनांक 14-08-2015

सेवा में,

1. प्रो० जगबीर सिंह,  
फैकल्टी आफ आर्किटेक्चर,  
उ०प्र०प्रा०वि०, लखनऊ।  
अध्यक्ष
2. प्रो० नीलम श्रीवास्तव,  
आई०ई०टी०, लखनऊ।  
सदस्य
3. प्रो० वी० के० त्यागी,  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।  
सदस्य
4. प्रो० ए०के० सोलंकी,  
बी०आई०ई०टी०, झाँसी।  
सदस्य
5. प्रो० एन०के० सक्सेना,  
के०एन०आई०टी०, मुल्तानपुर।  
सदस्य
6. डा० एस०एस० सोन,  
उपकुलसचिव, यू०पी०टी०यू०, लखनऊ।  
सदस्य सचिव

विषय:- रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत करना है कि उ०प्र०प्रा०वि०, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति द्वारा प्रदेश के निरीक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने संबंधी मा० उच्च न्यायालय के आदेश सं० 370/04/XI A दिनांक 12 जून 2009 के क्रम में शासन के पत्र सं० 1835-सोलह-1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर 2009 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी। इसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ-साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नहीं है, के लिये अनुश्रवण किया जायेगा। रैगिंग नियंत्रण सेल भी इस संबंध में कारगर कदम उठाये और कहीं भी कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहाँ जाकर निरीक्षण किया जाये ताकि रैगिंग की घटनायें बिलकुल न हों।

उक्त की सूचना के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाये।

- 1 शैक्षिक सत्र 2015-16 में संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों, जिसमें 5 छात्राये सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैंगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाय।
- 2 उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीड बैक को गोपनीय रखा जाये तथा उसे ध्यान में रखते हुये संस्थान में रैंगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाये।
- 3 सभी नये छात्रों को एस0एम0एस0 की सुविधा प्रदान की जाय तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्था स्तर पर त्वरित कार्यवाही करायी जाय।
- 4 संस्था के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डन की अध्यक्षता में रैंगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाय तथा इसमें छात्रों की भागेदारी सुनिश्चित करायी जाय।
- 5 जिला स्तर पर गठित एण्टी रैंगिंग अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुये जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैंगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराये जाये। यदि किसी भी संस्था में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाय।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(के0के0 चौधरी)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2 प्राचार्य/निदेशक, उ0प्र0प्रा0वि0, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थायें।
- 3 वित्त अधिकारी, उ0प्र0प्रा0वि0, लखनऊ।
- 4 श्री अमित मलिक, मा0 कुलपति कार्यालय, उ0प्र0प्रा0वि0, लखनऊ।

  
(के0के0 चौधरी)  
कुलसचिव



# उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, 226021

दूरभाष सं० (0522) 2732193, फैक्स सं० 2732185

पत्रांक: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/2014/7744-53

दिनांक: 07 अगस्त, 2014

सेवा में,

1. प्रो० जगवीर सिंह, अध्यक्ष  
फैकल्टी आफ आर्कीटेक्चर,  
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
लखनऊ
2. प्रो० रघवीर कुमार, निदेशक, सदस्य  
बी०बी०डी०, एन०आई०टी०एम०,  
लखनऊ
3. प्रो० भरत राज सिंह, सदस्य  
निदेशक,  
एस०एम०एस० इंजी० कालेज, लखनऊ
4. प्रो० रघुराज सिंह, सदस्य  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।
5. डा० अरुणिमा डे, सदस्य  
आई०ई०टी०, लखनऊ
6. डा० राजीव कक्कड, सदस्य  
फैकल्टी आफ आर्कीटेक्चर,  
लखनऊ

विषय : रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति (Anti Raging Monitoring Committee) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी मा० उच्चतम न्यायालय के आवेदना संख्या : 370/04/XI A दिनांक 12 जून, 2009 के क्रम में शासन के पत्र संख्या 1835/सोलह-1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध अनुश्रवण समिति संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी जिसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनपालन की स्थिति

किया जायेगा। रैगिंग नियन्त्रण सेल भी इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठाये और कही से कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहां जाकर निरीक्षण किया जाये ताकि रैगिंग की घटनाये बिल्कुल न हों।

उक्त की सूचना के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाये :

1. शैक्षिक सत्र 2014-15 में संस्थों में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों, जिसमें 05 छात्राये सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाये।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीडबैक को गोपनीय रखा जाये तथा उसे ध्यान में रखते हुए संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जायें।
3. सभी नये छात्रों को एस0एम0एस0 की सुविधा प्रदान की जाये तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्थान स्तर पर त्वरित कार्यवाही करायी जाये।
4. संस्थान के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डन की अध्यक्षता में की रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाये तथा इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाये।
5. जिला स्तर पर गठित एन्टी रैगिंग अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुए जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराये जाये। यदि किसी भी संस्थान में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करायी जाये।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी.के. गंगवार)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ
2. प्राचार्य/निदेशक, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थायें।
3. वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. डा० डी०सी० मिश्रा, माननीय कुलपति कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ

(पी.के. गंगवार)  
कुलसचिव





# गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2013/ 12.9.83-1332-6 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2013

सेवा में,

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | प्रो० जगवीर सिंह,<br>राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय,<br>फैकैल्टी आफ आर्कीटेक्चर,<br>लखनऊ। | अध्यक्ष |
| 2  | प्रो० रघवीर कुमार, निदेशक,<br>बी०बी०डी०, एन०आई०टी०एम०,<br>लखनऊ।                         | सदस्य   |
| 3  | प्रो० बी०के० सिंह<br>निदेशक,<br>एस०एम०एस० इंजी० कालेज, लखनऊ।                            | सदस्य   |
| 4  | प्रो० रघुराज सिंह,<br>एच०बी०टी०आई०, कानपुर।   | सदस्य   |
| 5  | डा० अरुणिमा डे,<br>आई०ई०टी०, लखनऊ।  | सदस्य   |
| 6. | डा० राजीव कक्कड़,<br>फैकैल्टी आफ आर्कीटेक्चर,<br>लखनऊ।                                  | सदस्य   |

विषय : रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ (Anti Raging Monitoring Cell) के गठन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2013 को प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने संबंधी मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश संख्या: 370/04/XI A, दिनांक 12 जून, 2009 के क्रम में शासन के पत्र संख्या: 1835/सोलह-1-2009- 1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी, जिसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ-साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नहीं है, के लिए अनुश्रवण किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2013/11059-11390, दिनांक 06.08.2013

As/2013-323

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं से इस विषय में तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है। रैगिंग नियंत्रण सेल भी इस संबंध में कारगर कदम उठाये और कहीं से कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहां जाकर निरीक्षण किया जाए ताकि रैगिंग की घटनायें बिल्कुल न हो।

उक्त की सूचना के साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 11.07.2013 को सम्पन्न बैठक के संबंध में शासन के पत्रांक: 2261/सोलह-1-2013-250/96 टी०सी० दिनांक 06.08.2013 के द्वारा निर्देशित निम्नलिखित पांच बिन्दुओं पर भी आवश्यक कार्यवाही की जाए:-

1. शैक्षिक सत्र 2013-14 में संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्रों में से शीर्ष 10 रैंक वाले छात्रों, जिसमें 05 छात्राएं सम्मिलित हों, को विशेष रूप से संस्थान की रैगिंग रोकने हेतु बनायी गयी सतर्कता समिति में सम्मिलित किया जाए।
2. उक्त सतर्कता समिति की बैठकों में छात्रों से प्राप्त फीडबैक को गोपनीय रखा जाए तथा उसे ध्यान में रखते हुए संस्थान में रैगिंग रोकने के सभी प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराए जाए।
3. सभी नये छात्रों को एस०एम०एस० की सुविधा प्रदान की जाए तथा छात्रों से प्राप्त किसी भी सूचना पर संस्थान स्तर पर त्वरित कार्यवाही करायी जाए।
4. संस्थान के प्रत्येक हास्टल में हास्टल वार्डन की अध्यक्षता में की रैगिंग रोकने हेतु सतर्कता समिति बना दी जाए तथा इसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करायी जाए।
5. जिला स्तर पर गठित एन्टी रैगिंग समिति की बैठकें नियमित रूप से कराते हुए जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय ससमय सुनिश्चित कराए जाए। यदि किसी भी संस्थान में कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसके संबंध में त्वरित कार्यवाही करायी जाए।

समिति से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या: 2261/सोलह-1-2013-250/96 टी०सी० दिनांक 06.08.2013 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य/निदेशक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थाएं।
3. वित्त अधिकारी, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव



# गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0 / कुस0का0 / एके0 / 2012 /

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2012

5468-5776

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | प्रो० आर०पी० सिंह,<br>एच०बी०टी०आई०,<br>कानपुर।  | अध्यक्ष |
| 2 | प्रो० जगवीर सिंह,<br>राजकीय वास्तुकला महाविद्यालय,<br>फैकैल्टी आफ आर्कीटेक्चर,<br>लखनऊ। | सदस्य   |
| 3 | प्रो० नीलम श्रीवास्तव,<br>आई०ई०टी०,<br>लखनऊ।  | सदस्य   |
| 4 | प्रो० रघुराज सिंह,<br>एच०बी०टी०आई०,<br>कानपुर।  | सदस्य   |
| 5 | प्रो० कुलदीप सहाय,<br>आई०ई०टी०,<br>लखनऊ।  | सदस्य   |

विषय : रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ (Anti Raging Monitoring Cell) के गठन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2012 को प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के शक्यता हेतु सम्यक उपायों के साथ समीक्षा कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने संबंधी मा० उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या: 370/04/XI A, दिनांक 12 जून, 2009 के क्रम में शासन के पत्र संख्या: 1835/सौलह-1-2009- 1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। रैगिंग निषेध नियन्त्रण प्रकोष्ठ संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण कर सकेगी, जिसमें संस्थाओं के स्तर पर निर्देशित व्यवस्थाओं के गठन एवं अनुपालन की स्थिति की जानकारी के साथ-साथ रैगिंग की कोई घटना घटित तो नहीं है, के लिए अनुश्रवण किया जायेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: गौ0बु0प्रा0वि0 / कुस0का0 / एके0 / 2012 / 4416-4717, दिनांक 20.07.2012 द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के विषय में तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है। रैगिंग नियन्त्रण सेल भी

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ, फोन 2732193, फैक्स 2732185

इस संबंध में कारगर कदम उठाये और कहीं से कोई रैगिंग की शिकायत प्राप्त हो तो तत्काल वहां जाकर निरोक्षण किया जाए ताकि रैगिंग की घटनायें बिल्कुल न हों। आपसे अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं के अन्तर्गत तदनुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा करें।

उक्त की सूचना के साथ आपसे यह भी अनुरोध है कि रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 15.06.2012 को सम्पन्न बैठक के संबंध में शासन के पत्रांक: 2194/सोलह-1-2012-250/96 टी०सी० दिनांक 10.07.2012 के द्वारा नीति निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव

-पुष्पांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या: 2194/सोलह-1-2012-250/96 टी०सी० दिनांक 10.07.2012 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य/निदेशक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थाएं।
3. वित्त अधिकारी, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. स्टाफ आफिसर, कलपति कार्यालय, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव



# गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)

पत्रांक: गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2013/17057-1139 लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2013

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,  
गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध  
समस्त संस्थाएं।

विषय- प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या दिनांक 28.06.2013 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या: 1-15/2009(Anti Ragging Cell), दिनांक 28.06.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि उक्त पत्र में उल्लेखानुसार रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए निम्नवत दिशा निर्देश दिये गये हैं :-

1. रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्थाओं की है। प्रत्येक संस्था स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के सभी सम्भव उपाय सुनिश्चित किये जाएं। रैगिंग की कोई घटना घटित होने पर संस्थाओं की जिम्मेदारी होगी।
2. सभी संस्थाओं में एन्टी रैगिंग कमेटी गठित होनी चाहिए तथा कमेटी द्वारा रैगिंग रोकने के लिए संस्थाओं के सभी महत्वपूर्ण (Strategic) स्थानों यथा कैंटीन, छात्रावास, भवन के कारिडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लाकों, पुस्तकालय, प्रवेश द्वार आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाए, जिससे रैगिंग की घटना की सम्भावनाएं पूर्णतया समाप्त हो जाएं।
3. सभी संस्थाओं में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों को होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाए, ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधान सभी के संज्ञान में आ सकें तथा रैगिंग रोकने में सहायता मिल सके। प्रत्येक संस्था से अपेक्षा की गयी है कि वह अपने यहाँ रैगिंग के संबंध में हेल्पलाइन तत्काल शुरू करें।
4. छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के संबंध में विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे शपथ पत्र प्राप्त किए जाएं ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकें।
5. समस्त संस्थाएं रैगिंग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। निदेशक द्वारा संस्था का आकरिमिक निरीक्षण किया जाए ताकि रैगिंग की घटनाएं बिल्कुल न हों।
6. समस्त संस्थाओं के प्रवेश द्वार तथा मुख्य स्थलों पर रैगिंग रोकने के उपायों से संबंधित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए होर्डिंग लगाये जाएं।
7. जिन संस्थाओं में पर्याप्त हास्टल नहीं है, वहाँ छात्रों को यथा सम्भव हास्टल की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाए तथा परिसर से बाहर रह रहे छात्रों के आवासों एवं आस पास का स्थान का संस्थान की एन्टी रैगिंग दस्ते द्वारा निरीक्षण करते हुए वहाँ छात्रों की सुविधा एवं आपसी माहौल को निरन्तर चेक किया जाए ताकि परिसर के बाहर भी रैगिंग की घटना न हो सके।
8. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, अतएव अगले 03 माह रैगिंग की रोकथाम के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाचार पत्रों में रैगिंग के संबंध में यदि संस्था के संबंध में कोई समाचार प्रकाशित होता है तो तत्संबंध में तथ्यों की सही जानकारी करके तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इस संबंध में की गयी कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराया जाए।

उक्त के सदभ म विश्वावद्यालय द्वारा पूव हा प्रदश म शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र संख्या: 821/सोलह-1-2009-1-250/96 : दिनांक 26.03.2009 की प्रति को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: उ0प्र0 प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/46190-46626 दिनांक 28.03.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किए गए दिशा निर्देशों (पत्रांक-एफ-1-16/2007 (सीपीसी-11) दिनांक 17 जून, 2009) की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/11691-17125 दिनांक 09.07.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित की गई।

रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या: 370/04/XJ-A; दिनांक 12 जून, 2009 जो शासन के पत्र सं0 1835/सोलह-1-2009-1-250/96, दिनांक-03 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त हुआ, की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/26742-27431, दिनांक 08 सितम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम-2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ-1-16/2009 (सीपीसी-II), माह सितम्बर, 2009 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2009/41897-42505, दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 जो शासन के पत्र सं0 923/सोलह-1-2010, दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त अधिनियम विश्वविद्यालय के पत्र सं0 उ0प्र0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/560-1150, दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित करते हुए अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने विषयक शासनादेश सं0 2336/सोलह-1-2008-1-200/96 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2010 जिसकी प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2010/18511-19100, दिनांक 29 जुलाई, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है। उक्त शासनादेश के अर्न्तगत संदर्भित शासनादेशों का उल्लेख करते हुए शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं में रैगिंग जैसी कुप्रथा रोकने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या की रोकथाम हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 11.7.2009 में दिये गये दिशा निर्देशों की प्रति भी विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/63220-63858, दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड किये जाने से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 F-11/2008(Anti Ragging) दिनांक 04 जुलाई, 2011 की प्रति संलग्न करते हुए विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011/17250-17845, दिनांक 15.7.2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को डाउनलोड करें तथा शैक्षिक सत्र 2011-12 के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सीनियर तथा जूनियर छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करें। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका निरन्तर अनुवीक्षण भी किया जाना चाहिए। उक्त डीवीडी युक्त फिल्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2009 के दौरान विद्यमान रैगिंग के जोखिम की समस्या को नियंत्रित करने के संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित नियंत्रणों के अनुपालन तथा इस विषय में विभिन्न समितियों के गठन से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 एफ/1-15/2009 (रैगिंग निरोधक) दिनांक 23 जून, 2011 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं0 गौ0बु0प्रा0वि0/कुस0का0/एके0/2011



/17846-18441, दिनांक 15 जुलाई, 2011 द्वारा समस्त संस्थाओं को इस आशय से प्रेषित किया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 23.6.2011 में उल्लिखित रेगुलेशन्स के द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं का संस्था स्तर पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या: 560/एस0टी0-टीजी-रैगिंग/2013 : दिनांक 12.7.2013 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र संख्या: जी0बी0टी0यू0/कुस0का0/एके0/2013/8731-9060, दिनांक 10.07.2013 में निर्देशित 26 बिन्दुओं का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया गया है।

उपर्युक्त सूचना के साथ रैगिंग के विषय में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कृपया उपरोक्त के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित अवस्थाएं गठित की जाएं और प्ररिप्रेक्ष्य में निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्था में रैगिंग जैसी कुप्रथा पर पूर्ण रूप से विराम सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(यू0एस0 तीमर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम कुलाधिपति/श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन, राजभवन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डलवाने का कष्ट करें।
4. स्टाफ आफिसर, कुलपति, गौ०बु०प्रा०वि०, लखनऊ।

(यू०एस० तीमर)  
कुलसचिव



# गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

पत्रांक: गौ.बु.प्रा.वि/कुस.का/एके./2011/17250-17845 दिनांक: 15 जुलाई, 2011

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,  
गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय  
एवं महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय से  
सम्बद्ध सम्बन्ध संस्थाएं।

विषय- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं० F-11/2008(Anti Ragging), दिनांक 04 जुलाई, 2011 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने उक्त पत्र द्वारा निर्देशित किया है कि समस्त संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को डाउनलोड करें तथा शैक्षिक सत्र 2011-12 के प्रारम्भ होने से पूर्व ही सीनियर तथा जूनियर छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करें। इसके अतिरिक्त शैक्षिक सत्र की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इसका निरन्तर अनुवीक्षण किया जाना चाहिए। उक्त डीवीडी युक्त फिल्म को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रैगिंग निरोधक डीवीडी युक्त फिल्म को अपलोड करते हुए शैक्षिक सत्र 2011-12 प्रारम्भ होने से पूर्व छात्रों के मध्य इसका व्यापक प्रचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय  
  
(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं० व दिनांक-उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल/महा० कुलाधिपति महोदय, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ।
3. संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 को F-11/2008(Anti Ragging), दिनांक 04 जुलाई, 2011 के संदर्भ में।
4. कुलसचिव, महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, नोयडा।
5. अपर परीक्षा नियंत्रक, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालवाने का कष्ट करें।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(यू०एस० तोमर)  
कुलसचिव



डॉ. मंजू सिंह  
Dr. Manju Singh

संयुक्त सचिव  
Joint Secretary



दूरभाष PHONE : कार्यालय OFF : 23222595  
फैक्स FAX : 23232569

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110 002  
**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**  
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002  
E-mail : manjusingh@ugc.ac.in

No. F 1-11/2008 (Anti-Ragging)

June, 2011

To,

The Registrar  
Uttar Pradesh Technical University,  
Sitapur Road, Lucknow-226 021,  
(Uttar Pradesh)

Subject: Regarding uploading the Documentary on Anti Ragging which is placed on the UGC website.

Sir,

I am directed to request you kindly download the Documentary on Anti Ragging which is placed on UGC website and wide publicity may be given within senior and junior students before the starting of Academic session 2011-2012.

Yours faithfully,

*Manju Singh*  
(Manju Singh)

**Click here to see documentary on anti ragging.**